पुष्पांजलि

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद

पुष्पांजलि

2022

भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उप्पल, हैदराबाद-500039

पुष्पांजलि
वार्षिक अंक : 2022

संरक्षक

बी. सी. परीडा निदेशक

संपादकीय समिति

देव कुमार उरांव अधिकारी सर्वेक्षक

के. प्रसन्नालक्ष्मी हिन्दी अनुवादक

मुख पृष्ठ सृजन

प्रमोद एम पराते अधिकारी सर्वेक्षक

आंतरिक सज्जा, कंप्यूटर सेटिंग व मुद्रण कार्य

भूपेन्द्र सी. परमार सर्वेक्षक

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं। संपादक मंडल अथवा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बिक्री के लिए नहीं।
केवल आंतरिक परिचालन के लिए

सुनील कुमार
भा.व.से.

Sunil Kumar
I.F.S.

भारत के महासर्वेक्षक
Surveyor General of India

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय,
हाथीबडकला एस्टेट, पोस्ट बाक्स न० 37
देहरादून-248 001 (उत्तराखण्ड), भारत
SURVEY OF INDIA
Surveyor General's Office
Hathibarkala Estate, Post Box No.37
Dehradun-248 001, (Uttarakhand), India.

संदेश

मुझे यह जानकार प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के हैदराबाद स्थित, भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय द्वारा वार्षिक हिन्दी गृहपत्रिका "पुष्पांजलि-2022" का प्रकाशन किया जा रहा है।

सरल, सहज और सुबोध होने के कारण हिन्दी भारत के अधिकांश हिस्सों में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। कार्यालय के दैनिक कार्यों में भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके हमें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

"पुष्पांजलि" के लेखन, संपादन तथा प्रकाशन की प्रक्रिया से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा पत्रिका के प्रतिवर्ष अनवरत रूप प्रकाशन की कामना करता हूँ।

6/9/22

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचित एवं
भारत के महासर्वेक्षक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

दूरभाष: 0135 - 2977976
Telephone: 0135 - 2977975
0135 - 2977980
फैक्स/Fax: 0135 - 2977970

ईमेल/E-mail: zone.spl.soi@gov.in

अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र का कार्यालय,
OFFICE OF ADDITIONAL SURVEYOR GENERAL, SPECIALIZED ZONE
ब्लॉक 6, हाथीबडकला एस्टेट, पोस्ट पत्र पेटी संख्या 200
Block 6, Hathibarkala Estate, Post Box No. 200
देहरादून-248 001 (उत्तराखण्ड),
Dehradun-248 001, (Uttarakhand)

संदेश

यह गौरव एवं प्रसन्नता का विषय है कि भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली राजभाषा गृह पत्रिका का वार्षिक अंक "पुष्पांजलि-2022" का प्रकाशन होने जा रहा है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजभाषा हिंदी की अहम भूमिका है। गृह पत्रिकाएं राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उचित माहौल तैयार करते हुए प्रचार-प्रसार का एक प्रभावी माध्यम बन जाती हैं। पुष्पांजलि पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में एक सार्थक प्रयास है जो निःसंदेह हिंदी के प्रगामी प्रयोग को गति प्रदान करेगा। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

सरीन

(बी.सरीन चंदर)
ब्रिगेडियर
अपर महासर्वेक्षक,विशिष्ट क्षेत्र

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

फोन / Phone: 27201181(EPABX). 27200430
टेलि-फैक्स/ tele-Fax: 27200430
ई-मेल/ E-mail: gisrs.soi@gov.in

भौगोलिक सुचना पद्वती और सुदूर संवेदन निदेशालय
GIS & REMOTE SENSING DIRECTORATE
उप्पल, हैदराबाद -500 039 (तेलंगाणा)
UPPAL, HYDERABAD - 500 039 (Telangana)

निदेशक की कलम से.....

हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हैं । इस वर्ष 14 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस का उद्घाटन समारोह के साथ गुजरात के सूरत में द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऐसे शुभ अवसरों पर हमारी निदेशालय की वार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका "पुष्पांजलि-2022" के सफल प्रकाशन से मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रति यह पुष्पांजलि पत्रिका हमारा छोटा सा उपहार है।

राजभाषा हिन्दी एक ऐसी सशक्त और लोकप्रिया भाषा है जो देश के कोने-कोने में बोली व समझी जाती है। आवश्यकता इस भाषा के प्रयोग को बढ़ाने की है। इस दिशा में कार्यान्वयन हेतु हमारे निदेशालय में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वार्षिक कार्यक्रम में उल्लेखित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जाँच बिंदुओं की स्थापना की गई हैं एवं सभी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। परिणामस्वरूप हिंदी पत्राचार में वृद्धि हुई है। निदेशालय में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की गतिशीलता के प्रति हम संतुष्ट हैं और इसकी सुचारू कार्रवाई का आश्वासन देते हैं।

हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वामित्व परियोजना तथा राष्ट्रीय जल परियोजना से संबंधित तकनीकी कार्य की व्यस्तताओं के बीच समय निकाल कर इस पत्रिका के लिए रचनाएं तैयार की हैं। पत्रिका के सफल प्रकाशन में सहयोगी सभी रचनाकारों व संपादक मंडल को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ।

(बी.सी.परीडा)
निदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

फोन / Phone: 27201181(EPABX). 27200430
टेलि-फैक्स/ tele-Fax: 27200430
ई-मेल/ E-mail: gisrs.soi@gov.in

भौगोलिक सुचना पद्वती और सुदूर संवेदन निदेशालय
GIS & REMOTE SENSING DIRECTORATE
उप्पल, हैदराबाद -500 039 (तेलंगाणा)
UPPAL, HYDERABAD - 500 039 (Telangana)

संदेश

मुझे इस निदेशालय से जुड़ने का अवसर इस वर्ष ही प्राप्त हुआ और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ-साथ राजभाषा नीति कार्यान्वयन का दायित्व के बारे में जानना भी मेरे लिए अति गौरव की बात है। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सीखना जरूरी है, क्योंकि भारत में उनका स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है। इसलिए हिंदी न जानने की स्थिति में बातचीत करने, समझने एवं समझाने में परेशानी होती है। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है और भूमंडलीकरण के दौर में अन्य भाषाओं की जानकारी होना लाभदायक है। भारत जैसे बहुभाषी देश में सभी भाषाओं का अपना महत्व है और यह पत्रिका अनेकता में एकता का संदेश भी देती है। मैं, इस पत्रिका से जुड़े सभी सदस्यों, रचनाकारों एवं सहयोगियों को शुभकामनाएं देता हूँ।

एम. संतोष

(एम.संतोष)
अधीक्षक सर्वेक्षक

संपादकीय

अहले सुबह पत्तों पर पड़ी ओस और उस पर पड़ती सूर्य की लालिमा युक्त किरण के फलस्वरूप झिलमिलाती मोतियों-सी लड़ी का दर्शन कर मन आनंदित हो जाता है और बीती रात के भयावह सपनों को भूल जाता है, उसी प्रकार कोरोना काल की त्रासदी के उपरान्त पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी निरंतरता में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "पुष्पांजलि" आपके समक्ष है। विगत दो वर्षों से इस पत्रिका की मुद्रित प्रति के परिचालन को सीमित करते हुए इसे इलेक्ट्रानिक प्रति के रूप में अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्न से यह पत्रिका हर जन मानस तक आसानी से पहुँच बना पायेगी ।

इस निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयास से "पुष्पांजलि" का प्रकाशन बिना विराम के प्रतिवर्ष होता आ रहा है। यह सम्मिलित प्रयास निरंतर होता रहे, अधिक-से-अधिक लोगों का सार्थक योगदान होता रहे तो निश्चित ही एक अवसर ऐसा आएगा जब हमारी पत्रिका सबकी चहेती बन जायेगी और लोगों को इसके अगले अंक की प्रतीक्षा रहेगी।

मैं सभी लेखकों, रचनाकारों, कार्मिकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ , जिन्होंने बहुरंगी पुष्परूपी रचनाओं एवं लेखों का अर्पण कर इस पत्रिका को मूर्त रूप देने में अपना सार्थक सहयोग दिया है।

यह पत्रिका भविष्य में भी इसी प्रकार स्नेह और प्रोत्साहन पाकर नव रूप में और अधिक निखर कर प्रकाशित व प्रसारित होती रहे, यही अभिलाषा है।

दे. कु. उराँव

(देव कुमार उराँव)
अधिकारी सर्वेक्षक

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	लेख / रचना	लेखक / रचनाकार सर्वश्री / श्रीमती	पृष्ठ संख्या
1.	असली दान	एम.शंकर	1
2.	रोज-रोज कार्यालय जाया करो	डी.नागतेजा	2
3.	माटी के बर्तन	पी.के.प्रतिभा	3
4.	पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	कार्यालय सूचना	5
5.	स्थानांतरण पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	कार्यालय सूचना	5
6.	स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	कार्यालय सूचना	6
7.	नियुक्ति	कार्यालय सूचना	6
8.	सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची	कार्यालय सूचना	7
9.	वर्ष 2022-23 के लिए मानदेय से पुरस्कृत अधिकारियों की सूची	कार्यालय सूचना	7
10.	मधुर स्मृतियाँ	कार्यालय सूचना	8
11.	उपवास	जे.भारती राज	13
12.	एक अनोखा प्रदेश---कच्छ का रण	बिजल तेवर	14
13.	सुशासन में राजभाषा की भूमिका	विभिन्न स्रोतों से साभार	17
14.	विदेशियों का हिंदी प्रेम	संकलन	24
15.	महापुरुष श्री रणछोड़ पगी की जीवन गाथा	भूपेन्द्र सी.परमार	26
16.	दुआ	एम.शंकर	30
17.	राजभाषा अनुपालन-कुछ आवश्यक बातें	के.प्रसन्ना लक्ष्मी	31
18.	कर्त्तव्य	जी.प्रणीती	36
19.	अपनी विदाई पर खुद भाषण देना	एम.शंकर	37
20.	अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिभा संपन्न बच्चों की उपलब्धिया	कार्यालय सूचना	38
21.	संख्यावाचक शब्द	संकलन	39

असली दान

--- श्री एम.शंकर
अधिकारी सर्वेक्षक

एक संत विभिन्न धर्मस्थलों की यात्रा करते हुए एक नगर में पधारे। एक दिन नगर में उनके प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों की भीड़ उमड़ पडी। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक धनी व्यक्ति ने संत के चरणों में सोने-चाँदी के आभूषण, धन और कीमती वस्त्र भेंटस्वरूप अर्पित किए। अपनी भाव भंगिमा से वह अहँकारी लग रहा था। संत ने यह बात उसे देखते ही समझ ली।

उन्होंने तत्काल एक सफाई कर्मचारी को बुलाया और कहा, "कल तुम पूछ रहे थे न कि तुम्हारी पुत्री का विवाह कैसे होगा, उसका समाधान हो गया है। यह धन, वस्त्र, आभूषण आदि ले जाओ। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ।" सफाई कर्मी सारा सामान लेकर चला गया। इस पर उस धनी व्यक्ति को हैरान देख संत ने कहा, "जब वह व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह में तुम्हारी संपत्ति खर्च करेगा तभी असली दान का पुण्य तुम्हे मिलेगा। दान सदा वंचितों को दिया जाना चाहिए ।"

*** ***** ***

अगर आपके पास जरुरत से ज्यादा है

तो उसे उनसे शेयर करिये

जिन्हें इसकी सब से ज्यादा जरुरत है ।

रोज-रोज कार्यालय जाया करो

श्री डी.नागतेजा, अवर श्रेणी लिपिक

रोज-रोज कार्यालय जाया करो,
"आज का हिंदी शब्द" पर ध्यान दिया करो ।
कुछ न कुछ कार्यालयीन हिन्दी शब्द सीखा करो,
नोटशीट, हिन्दी में टिप्पणी, फाइल, प्रारूप, स्वच्छप्रति, गाया करो !
स्टोर्स को भंडार, स्टोरकीपर को भंडार पाल बोलते रहो,
स्टोर सेक्शन को कहो भंडार अनुभाग,
टेक्नीकल सेक्शन को तकनीकी अनुभाग,
ऑफिसर सर्वेयर को अधिकारी सर्वेक्षक,
यूडीसी को प्रवर श्रेणी लिपिक,
एलडीसी को अवर श्रेणी लिपिक,
एसिस्टेन्ट को सहायक,
स्टेनो को आशुलिपिक, सर्वेयर को सर्वेक्षक,
डायरेक्टर को निदेशक महोदय, कहा करो ।
रोज-रोज कार्यालय जाया करो ।

ड्राफ्ट को प्रारूप, अप्रूवल को अनुमोदन,
रेक्टिफिकेशन को संशोधन, फेयर कॉपी को स्वच्छप्रति,
सिग्नेचर को हस्ताक्षर कहा करो !
यदि अपने तैयार किये हुए प्रारूप पर भरोसा है तो,
अनुमोदन के लिए प्रारूप प्रस्तुत किया करो !
यदि संदेह से पीड़ित हैं तो,
फाइल के पिछले पन्नो के पत्राचार पढ़ा करो,
तदुपरांत संशोधन के लिए प्रारूप प्रस्तुत किया करो,
अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नोटशीट पर,
"हस्ताक्षर के लिए स्वच्छप्रति प्रस्तुत है" लिखा करो ।
रोज-रोज कार्यालय जाया करो ।

कुछ न कुछ कार्यालयीन हिन्दी शब्द सीखा करो,
सालाना हिन्दी में दस हजार शब्द लिखने का प्रयास करो,
हिन्दी में अपना कार्यसाधक ज्ञान बढ़ाने के साथ-साथ,
प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार भी पाया करो ।
रोज-रोज कार्यालय जाया करो !

*** ***** ***

माटी के बर्तन

--- श्रीमती पी.के.प्रतिभा,
कार्यालय अधीक्षक

भारतीय प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य का शरीर पंच-महाभूत तत्वों का बना होता है---वायु, जल, माटी, आकाश, अग्नी। मानव शरीर में ये सभी तत्व एक निश्चित मात्रा में पाये जाते हैं। माटी में 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे--- कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, जिप्टोन, जोरन, कोबोल्ट, सल्फर आदि। ये सभी तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। मृत्यु के बाद अग्नि-संस्कार से केवल 20 ग्राम मिट्टी राख के रूप में प्राप्त होती है। उस राख पर वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान किया तो पाया कि उसमें वो सभी तत्व मौजूद थे, जो मिट्टी में होते हैं। इसलिए मान्यता है कि माटी का शरीर अंत में माटी में ही मिल जाता है।

मिट्टी का हम सेवन नहीं कर सकते हैं, किंतु मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर उसके तत्वों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी के बने बर्तनों में खाना बनाना होगा। ऐसा करने से हमें मिट्टी में मौजूद 18 सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिसकी हमारे शरीर को अत्यन्त आवश्यकता होती है। मिट्टी के बर्तनों में हम अपने सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थ, जैसे- रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी, कड़ी आदि बना सकते हैं। इनमें बना खाना स्वादिष्ठ तो होता ही है साथ ही स्वाथ्यवर्धक भी होता है।

कई बार हम यह सोच कर हैरान हो जाते हैं कि हमारे पूर्वज सौ-सौ वर्ष का लम्बा जीवन अच्छे स्वाथ्य के साथ कैसे व्यतीत कर पाते थे। वे लोग किसी प्रकार के फुड सप्लीमेंट का सहारा नहीं लेते थे। टीबी, अस्थमा, डायबिटीज, घुटनों का दर्द आदि रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या एकाध ही हुआ करती थी। आज की तरह ये रोग महामारी का रूप धारण किए नहीं थे। इसका कारण यही है कि हमारे शरीर को अगर सीमित मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते रहें तो यह लम्बे समय तक रोगमुक्त व स्वस्थ बना रह सकता है और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना है-मिट्टी।

आयुर्वेदिक वैद्यों के अनुसार आधुनिक धातु से बने बर्तनों में खाना बनाने से भोजन की पोषकता काफी मात्रा में नष्ट हो जाती है, जैसे-स्टील या एल्युमिनियम से बने प्रेशर कुकर में खाना बनाने से खाना पकता नहीं है, केवल गलता है, जिससे खाने के 87 प्रतिशत सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वहीं मिट्टी के बर्तनों में

खाना बनाने से उसकी पोषकता बरकरार रहती है। कई प्रयोगों में यह भी साबित हुआ है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से मधुमेह (डायबिटीज) के रोगियों का अत्यन्त बढ़ा हुआ शुगर लेवल आधे से अधिक कम हो गया है।

हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने व खाने का चलन रहा है। दुर्भाग्यवश आज हमने अपनी इस परंपरा से मुँह फेर लिया है। हमें गुणों के खजाने मिट्टी के बर्तनों को अपने रसोईघर में शामिल करना होगा ताकि स्वास्थ्यमय जीवन व्यतीत कर सकें।

आजकल आपको, ढूंढने पर सभी प्रकार के माटी के बर्तन मिल जाएंगे। माटी का गिलास, तवा, कुकर, हांडी, कड़ाही, वॉटर बोतल, फ्रिज आदि। आधुनिक बर्तनों के स्थान पर माटी के बर्तनों का उपयोग कर रोगमुक्त जीवन व्यतीत करने का स्वप्न साकार कर सकते हैं। ये उत्पाद पारंपरिक होने के साथ-साथ सुंदर व आकर्षक भी लगते हैं। इन बर्तनों की देखभाल काँच के बर्तनों की तरह ही करनी होती है। आप भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर स्वस्थ व निरोग जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।

*** ***** ***

स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफ़ादारी सबसे बड़ा सम्बन्ध है।

-- भगवान गौतम बुद्ध

"सुख का मुख्य सिद्धान्त स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धान्त कसरत।"

-- टामसन

पदोन्नत अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	पदोन्नतिकी तिथि	पद जिस परपदोन्नत हुए
1	श्रीमती के.रेहाना	डी/मैन ग्रेड-II	01-03-2022	डी/मैन डिविज़न-I
2	श्री ए.डी.श्याम सुंदर	डी/मैन ग्रेड-II	25-04-2022	डी/मैन डिविज़न-I
3	श्री एस.श्रीनिवासुलु	प्रवर श्रेणी लिपिक	02-05-2022 (पूर्वाह्न)	सहायक
4	श्री एस.राम अप्पा राव	प्रवर श्रेणी लिपिक	02-05-2022 (पूर्वाह्न)	सहायक
5	श्री गारा प्रेमा कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	26-04-2022 (पूर्वाह्न)	सहायक

स्थानांतरण पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती	वर्तमान पद	स्थानांतरण की तिथि	स्थानांतरण	
				कहां से	कहां को
1	एम.संतोष	अधीक्षक सर्वेक्षक	02-05-2022	तमिलनाडु पांडिचेरी और ए.एन.आई. जी.डी.सी. चेन्नई	भौ.सू.प.और सु.सं.नि. हैदराबाद
2	एस.श्रीनिवासुलु	प्रवर श्रेणी लिपिक	02-05-2022	रा.भू.वि.एवं प्रौ.सं. .(NIGS&T) हैदराबाद	भौ.सू.प. और सु.सं.नि. हैदराबाद
3	एस.रामा अप्पा राव	प्रवर श्रेणी लिपिक	02-05-2022	रा.भू.वि.एवं प्रौ.सं. .(NIGS&T) हैदराबाद	भौ.सू.प. और सु.सं.नि. हैदराबाद
4	एम.लक्ष्मण कुमार	सहायक	18-05-2022	आं.प्र.और ते.जीडीसी हैदराबाद	भौ.सू.प. और सु.सं.नि. हैदराबाद
5	पी.के.पाणिग्राहि	अधिकारी सर्वेक्षक	06-06-2022	उड़ीसा जीडीसी भुवनेश्वर	भौ.सू.प. और सु.सं.नि. हैदराबाद

स्थानांतरित अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती	वर्तमान पद	स्थानांतरण की तिथि	स्थानांतरण	
				कहां से	कहां को
1	सीएच.वी.एस.एस.प्रसाद	अधिकारी सर्वेक्षक	17-12-2021 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	रा.भू.वि.एवं प्रौ.सं.(NIGS&T)
2	सीएच.आंजनेयुलु	सर्वेक्षक	17-12-2021 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	रा.भू.वि.एवं प्रौ.सं.(NIGS&T)
3	एन.एस.प्रसाद	सहायक	03-01-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	रा.भू.वि.एवं प्रौ.सं.(NIGS&T)
4	अर्चना एस.प्रेम	सर्वेक्षक	28-02-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	केरल और लक्षद्वीप जीडीसी तिरुवनंतपुरम
5	एम.श्रीनिवास	सहायक	03-03-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	रा.भू.वि.एवं प्रौ.सं.(NIGS&T)
6	बी.वी.सुभाकर	सर्वेक्षक	30-03-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	छत्तीसगढ़ जीडीसी रायपुर
7	सीएच.एल.एन.चौधरी	सर्वेक्षक	01-04-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	जी.एण्ड आरबी. देहरादून
8	जी.विजय रेखा	सर्वेक्षक	31-05-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	आं.प्र.और ते.जीडीसी (विशाखापट्टणम विंग)
9	आर.बलराम	डी/मैन (डिविजन-I)	01-06-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	दक्षिणी मुद्रण वर्ग हैदराबाद
10	के.वेंकटलक्ष्मी	डी/मैन (डिविजन-I)	13-07-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	दक्षिणी मुद्रण वर्ग हैदराबाद
11	गौरव पटेल	अवर श्रेणी लिपिक	12-08-2022 (अपराह्न)	भौ.सू.प.और सु.सं.नि.	पूर्वी उत्तर प्रदेश जीडीसी लखनऊ

नियुक्ति

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	देवराय सुजाता	एम.टी.एस.	02-06-2022

सेवा निवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम श्री/श्रीमती	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	बी.चन्द्रशेखर	डी/मैन (डिविजन-I)	31-10-2021 (अपराह्न)
2	ई.वेंकटय्या	एम.टी.एस.	30-11-2021 (अपराह्न)
3	वि.क्रिस्टोफर	एम.टी.एस.	31-01-2022 (अपराह्न)
4	के.रेहाना	डी/मैन ग्रेड-II	06-04-2022 (पूर्वाह्न) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति
5	ए.श्रीनिवास	सहायक	30-04-2022 (अपराह्न)
6	एन.पी.यदार्थुडु	सर्वे सहायक	31-05-2022 (अपराह्न)
7	निर्मल	एम.टी.एस.	30-06-2022 (अपराह्न)

वर्ष 2021-22 के लिए मानदेय से पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम श्री/श्रीमीती/कुमारी	पदनाम
1	कौशिक डे	अधिकारी सर्वेक्षक
2	अंबि टी.एस.	अधिकारी सर्वेक्षक
3	बी.वि.उमा महेश्वर राव	सर्वेक्षक
4	तन्नीरु देवेन्दर	सर्वेक्षक
5	पी.के.प्रतिभा	कार्यालय अधीक्षक
6	जेकब थॉमस	कार्यालय अधीक्षक
7	गारा प्रेमा कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
8	के.श्रीहरि रेड्डी	आशुलिपिक ग्रेड-II
9	बेजगम प्रभाकर	एमटीडी (स्पेशल ग्रेड)
10	डी.शंकरय्या	एमटीएस
11	ए.प्रसादु	एमटीएस

सेवा निवृत अधिकारी - वर्ष 2021-22

सेवा निवृत अधिकारी - वर्ष 2021-22

स्थानांतरित अधिकारी - वर्ष 2021-22

विभिन्न कार्यक्रम - वर्ष 2021-22

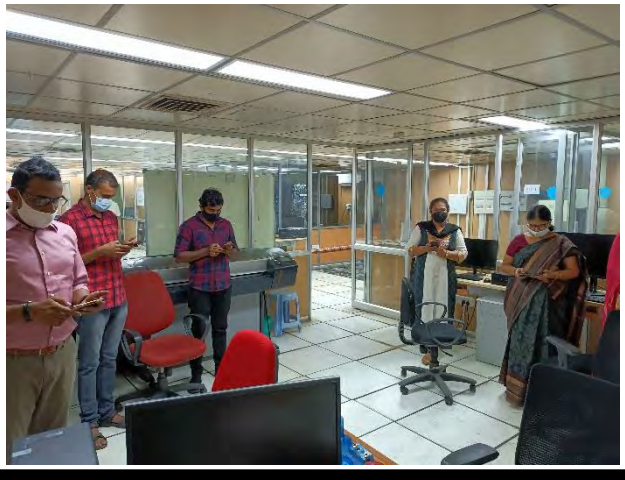

पुष्पांजलि विमोचन / राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

उपवास

श्रीमती जे.भारती राज, डी/मैन डिविज़न-I

उपवास क्या है और कैसे करना है ? कुछ लोग कहते हैं कि उपवास के दिन फल खा सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी खाना मना है । कुछ लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करते है तो कुछ लोग महाशिवरात्रि, एकादशी, द्वादशी तिथियों में तथा अन्य विशेष माह (जैसे कार्तिक माह, शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि), पर्वदिनों में उपवास की दीक्षा देते हैं। रूढ़ी-रिवाजों के अनुसार पर्वदिनों में पूजा, स्तोत्रपारायण, भजन-चिन्तन आदि करते हुए दिन-रात बिताते हैं। ऐसा करते समय अनाहार रहना ही उपवास माना जाता है। अनाहार रह कर शरीर को शुष्क करना हमारा संप्रदाय नहीं है। वास्तव में संस्कृत में उपवासम का अर्थ है, "**उपे-समीपे वासम**" अर्थात् अध्यात्मिक चिन्तन के समीप रहना तथा "**उपवासम....न तु कायस्य शोषणम**" अर्थात् लंघन/अनाहार/ अनशन से शरीर को कष्ट देना उपवास नहीं माना जाता है।

भरपूर भोजन करने से नींद आयेगी। इसके अलावा आहार सामग्री इकट्टा करने में, भोजन पकाने में, शरीर धर्म निभाने में समय व एकाग्रता भी नष्ट हो जाएगी। इन कारणों से भक्ति चिन्तन में अधिक समय बिताने का अवकाश नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए पर्वदिनों में भोजन त्यागने का रिवाज प्रारंभ हुआ होगा। इसी कारण से स्तोत्रामृतम, ध्यानामृतम, कीर्तनामृतम से ईश्वराराधन के लिए शरीर को योग्य बनाना ही उपवास कहा जाता है।

आजकल शरीर की स्वास्थ्य से संबंधित जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपवास व्रत के समय दूध-फल जैसे सात्विक परिमित आहार ग्रहण किया जा रहा है। परंतु उपवास दीक्षा के नाम पर एक दिन अनाहार रहने से बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। जिस तरह मानव शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, उसी तरह शरीर के जीर्णकोष को भी कभी-कभी विश्राम देना अनिवार्य है। सप्ताह में अथवा माह में एक दिन कम से कम एक बार अनाहार रहने से जीर्णकोष को विश्राम मिलेगा। इससे जीर्ण प्रक्रिया में और तेजी आयेगी तथा स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा । इसलिए उपवास या व्रत के नाम पर अनाहार रहना भी लाभदायक है।

एक अनोखा प्रदेश --- कच्छ का रण

--- श्रीमती बिजल तेवार, अधिकारी सर्वेक्षक

दुनिया का सब से बड़ा नमक का रेगिस्तान गुजरात के उत्तर-पूर्व में कच्छ के रण के नाम से प्रचलित है । गुजरात में अरब सागर से 100 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में बर्फ़ की तरह सफेद नमक का विस्तृत मैदान है, जो उत्तर में पाकिस्तान के साथ लगती सरहद तक फैला हुआ है। इसे कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। कछुए के आकार का यह इलाक़ा दो हिस्सों में बंटा है-महान या बड़ा रण 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, दूसरा हिस्सा छोटा रण कहलाता है जो 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इन दोनों को मिला दें तो नमक और ऊंची घास का विस्तृत मैदान बनता है जो दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। यहीं से भारत को 75 फ़ीसदी नमक मिलता है। हर साल गर्मियों के महीने के बाद मॉनसून की बारिश होने पर रण में बाढ़ आ जाती है। सफ़ेद नमक के सूखे मैदान बिल्कुल गायब हो जाते हैं और उनकी जगह झिलमिलाता समुद्र बन जाता है।

नमक का चक्र : कच्छ के दोनों रण भारत की पश्चिमी सीमा पर कच्छ की खाड़ी और दक्षिण पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच स्थित हैं। बड़ा रण भुज शहर से करीब 100 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। इसे भारत का अंतहीन "सफेद" रेगिस्तान कहा जाता है, इसमें वन्य जीवन न के बराबर है। छोटा रण बड़े रण के दक्षिण-पूर्व में है। यह आप्रवासी पक्षियों और वन्य जीवों के लिए अभयारण्य की तरह है। इसके बावजूद दोनों रण में बहुत समानताएं हैं। जून के आख़िर में यहां मॉनसून की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अक्टूबर तक यहां बाढ़ के हालात रहते हैं। फिर धीरे-धीरे पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और अपने पीछे नमक के क्रिस्टल छोड़ जाता है। पानी घटने पर प्रवासी किसान चौकोर खेत बनाकर नमक की खेती शुरू करते हैं। सर्दियों से लेकर अगले जून तक वे जितना ज्यादा नमक निकाल सकते हैं, उतना नमक निकालते हैं। यह सफेद रेगिस्तान इतना सपाट है कि आप क्षितिज तक देख सकते हैं, जैसा कि समुद्र में दिखता है।

प्राचीन उत्पत्ति : कच्छ के रण की भूगर्भीय उत्पत्ति करीब 20 करोड़ साल पहले पूर्व-जुरासिक और जुरासिक काल में शुरू हुई थी। कई सदी पहले तक यहां समुद्री मार्ग था। कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी में ऊपर की ओर जाने

वाले जहाज़ इस रास्ते का प्रयोग करते थे। दुनिया की पहली सब से बड़ी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईसा पूर्व 3300 से लेकर ईसा पूर्व 1300 साल तक यहां फले-फूले थे। इसके अवशेष "धोलावीरा" के पास पाये गए हैं। करीब 200 साल पहले एक के बाद एक आए कई भीषण भूकंपों ने यहां की भौगोलिक आकृति को बदल दिया। भूकंप के झटकों ने यहां की ज़मीन को ऊपर उठा दिया । यहां समुद्री पानी से भरी खाइयों की शृंखला बन गई जो साथ मिल कर 90 किलोमीटर लंबे और 3 मीटर गहरे रिज का निर्माण करती थी। अरब सागर से इसका संपर्क कट गया। भूकंपों ने यहां के रेगिस्तान में खारे पानी को फंसा दिया जिससे रण की विशिष्ट भू-स्थलाकृति तैयार हुई। गुजरात के क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, कच्छ यूनिवर्सिटी के भूगर्भ-वै-ानिक डॉ.एम.जी.ठक्कर कहते हैं, "रेगिस्तान में हमें एक जहाज़ का मस्तूल मिला था। वह एक भूकंप के दौरान यहां फंस गया था और समुद्र तक नहीं पहुंच पाया था।"

"वह अद्‌भुत दृश्य था, बंजर रेगिस्तान के बीच में लकड़ी का मस्तूल ।"

नमक की खेती : पिछले 200 साल में नमक की खेती रण में एक बड़ा उद्योग बन गई है। अक्टूबर के महीने में पड़ोस के सुरेंद्रनगर ज़िले से कोहली और अगरिया जनजातीय समुदाय के कई प्रवासी मज़दूर इस जलमग्न रेगिस्तान में आते हैं। नमक की खेती अगले जून तक लगातार चलती रहती है। किसान भीषण गर्मी और कठोर परिस्थितियों में काम करते हैं। अक्टूबर-नवंबर में बारिश रुकने के बाद मज़दूर नमक निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वे बोरिंग करके धरती के नीचे से खारे पानी को निकालते हैं। आयताकार खेतों में उस भूमिगत जल को फैला दिया जाता है। खेतों का बंटवारा नमक की सांद्रता के आधार पर होता है। खेतों में फैले पानी को भाप बनकर उड़ने में दो महीने लग सकते हैं। नमक के किसान उसमें रोजाना 10-12 बार पाल चलाते हैं जिससे शुद्ध साफ़ नमक बच जाता है। किसान एक सीज़न में ऐसे 18 खेतों से नमक निकाल सकते हैं। नमक के किसान ऋषिभाई कालूभाई कहते हैं, "हमारी पांचवी पीढ़ी नमक की खेती कर रही है। हर साल 9 महीने के लिए हम पूरे परिवार को नमक के खेतों में लाते हैं और बरसात में अपने घर चले जाते हैं।"

अनोखे घर : कच्छ के रण में बनने वाले घर वास्तुकला के अनूठे नमूने होते हैं। उनको बुंगा घर के नाम से जाना जाता है। कई सदियों से यहां रहने वाले खानाबदोश समुदाय और जनजातियां मिट्‌टी से बने सिलेंडरनुमा घरों में रहते आए हैं। इन घरों की छतें शंकु आकार की होती हैं। इन घरों की ख़ास आकृति यहां उठने वाली तूफ़ानी हवाओं, भूकंप और भयंकर गर्मी व सर्दी से बचाती है। गर्मियों में यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच

जाता है और सर्दियों में यहां बर्फ जम सकती है। बाहर से आने वाले लोग इन घरों के बाहर की गई चित्रकारी देखकर मंत्रमुग्ध रहते हैं ।

रेगिस्तान में सैर-सपाटा : हाल के वर्षों में रण, पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन गया है।दुनिया भर के लोग भारत के इस लुभावने नमक के रेगिस्तान का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। यह क्षेत्र पारिस्थिति की विशेष-तों और भूगर्भीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है जो यह जानने को आतुर हैं कि कैसे कठोर स्थितियों वाला यह क्षेत्र इतने बड़े पैमाने पर जीवन को आकर्षित करता है और कैसे यहां की बंजर ज़मीन से इतना नमक निकाला जा सकता है। लेकिन जैसा कि तय है कि गर्मियों के बाद बारिश होगी ही और सर्दियों में पक्षी आएंगी ही। उसी तरह इन्सान भी हर साल इस सफ़ेद रेगिस्तान में आते हैं। वे यहां के अंतहीन क्षितिज को निहारते हैं और इस आश्चर्य पर मुग्ध होते रहते हैं।

*** ***** ***

अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं – तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं – तो आप नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह से आप सही हैं।

-- शिव खेड़ा

सुशासन में राजभाषा की भूमिका

---विभिन्न स्रोतों से साभार

भारत एक विशाल देश है-जहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं की आत्मा एक है। सभी में भारतीयता का संदेश प्रवाहित हो रहा है। यह भाषा राष्ट्र की सामासिक संस्कृति की प्रतीक है। भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है और उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार उनकी भाषा में प्रतिबिंबित होता है। भाषा जहाँ एक ओर जिस सांस्कृतिक विरासत में जन्म लेती है, उस विरासत को पीढ़ी-दर पीढ़ी आगे पहुँचाने का कार्य भी करती है। स्वतंत्र भारत में जनता को सु-शासन की अनुभूति कराने के लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में ही सु-शासन की झलक मिल जाती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने की परिकल्पना है। भारतीय संविधान का रूप प्रमुखतः संघीय है, जिसकी मुख्य विशेषताएँ संविधान का सर्वोपरी होना, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संविधान के संशोधन की कड़ी प्रक्रिया है। संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत संघ तथा राज्यों के बीच प्राधिकारों के क्षेत्र भली प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, जो इन दोनों सरकारों को प्रयोग में लाने के लिए सौंपे गए हैं।

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में शासन के तीन स्तर हैं-राष्ट्रीय अथवा संघीय, राज्य अथवा क्षेत्रीय तथा आधारिक स्तर जिन्हें पंचायत तथा नगरपालिका कहा जाता है। संविधान में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को स्वायत शासन संस्थाओं के रूप में अधिकृत किया गया है। भारत के संविधान में केन्द्र तथा प्रभावी तरीके से सशक्त किए गए राज्यों की आवश्यकता के बीच "रचनात्मक संतुलन" की परिकल्पना की गई है। देश की सामाजिक-आर्थिक विविधता ने भारतीय संघवाद के विभिन्न पहलुओं को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसी व्यवस्था में संघ एवं राज्य की राजभाषाओं का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

भारत के संविधान की उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जिनकी प्राप्ति के लिए राष्ट्र (राज्य) को प्रयास करने चाहिए। इनमें से प्रमुख उद्देश्य देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाना है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है।

अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने पर बल है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा की जाती है। सभी राज्यों से 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने की उपेक्षा की गई है। लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोकस्वास्थ्य का सुधार करने को राज्यों का प्राथमिक कर्त्तव्य बताया गया है।

प्रख्यात न्यायविद एच.एस.सीरवाई ने अपनी उल्लेखनीय कृति "कांस्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया" में वर्ष 1951 से 1991 के दौरा भारत के संविधान की व्यावहारिक कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए यह टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संघीय संविधान के अनुकूल ब्रिटिश सरकार का स्वरूप ही हमारे संविधान के अंतर्गत सरकार का सर्वाधिक समुचित रूप होगा। सरकार के इस स्वरूप में विधायिका, न्यायपालिका और उच्चतर सिविल सेवा सदस्यों से चरित्र एवँ आचरण के उच्च मानकों की अत्यधिक अपेक्षा की जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि चरित्र एवँ आचरण के ये उच्च मानक हमारे संविधान के अंतर्गत बने रहेंगे। आप सार्वजनिक जीवन में इन मानकों में गिरावट आई है, जिसके विषय में हम सबको गंभीरता से विचार करना होगा। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक राज्य है और बहुभाषी लोग रहते हैं-गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही सर्वोपरि एवँ अनुकूल है। भारत के लोकसभा चुनाव तथा राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव ने भी सिद्ध कर दिया है भारत में जहाँ जनादेश सर्वमान्य है, जनतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सत्ता-परिवर्तन कितना सहज रूप से होता है। भारत में 72 वर्षीय गणतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं।

भाषा केवल व्यक्ति की ही नहीं, राष्ट्र की भी सबसे बड़ी पहचान है। जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें उस राष्ट्र के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रभाषा या राजभाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी इस देश की राजभाषा है। 14 सितंबर, 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं ने एकजुट होकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और संविधान में यह भी व्यवस्था की कि हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए, उसका विकास किया जाए, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। महात्मा गांधी ने 1917 में ही भारत में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि वह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली

जाती है, यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लोगों को सीखना आवश्यक है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में संघीय शासन की सफलता सरकार के सुचारू रूप से कार्य करने पर निर्भर करती है। संघ सरकार और राज्यों के बीच एक अच्छा संतुलन बना कर तथा सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर एक प्रभावी शासन के निर्माण की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच अच्छा तालमेल बना कर ही शासन को प्रभावी बनाया जा सकता है और यह कार्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार से ही संभव है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित कर ही हम देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सु-शासन ही एकमात्र प्रभावशाली कारक बन सकता है। सु-शासन की व्यवस्था तभी संभव है, जब हमारे सारे राजकाज जनता की भाषा राजभाषा में संपादित हों। "सरकार आपके द्वारा" का नारा जो सु-शासन का मूलमंत्र है, तभी सार्थक होगा जब जनता की भाषा में उनके सभी कार्यों को किया जाए। जनता की विकास कार्यों में भागीदारी भी राजभाषा में कार्य करने से ही होगी। अतः राजभाषा हिंदी को सरल और सुबोध बनाने की आवश्यकता है। उसे देश की संपर्क भाषा का रूप देने के लिए संस्कृत व हिन्दुस्तानी के अलावा आठवीं सूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की आवश्यकता है। संविधान की धारा 351 में भी अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए राजभाषा हिंदी की समृद्धि पर बल दिया गया है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी जनसंख्या में वृद्धि के कारण देश में आर्थिक लाभ कम प्रतीत हो रहा है। भारत में समर्थ मध्यम वर्ग, विकासशील सॉफ्टवेयर उद्योग और परमाणु क्षमता के बावजूद बड़ी संख्या में हमारे नागरिक बेरोजगार, गरीब और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से वंचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना ऐसे मामले हैं, जिन्हें समाज के सभी वर्गों से संबंध रखने वाले नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए कारगर, सक्षम और व्यवहारिक तरीके से हल किए जाने की आवश्यकता है। यह सब करने के लिए शासन और जनता के बीच की दूरी को दूर करना होगा। यह कार्य केन्द्र और राज्यों में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अवसर राजभाषा के सरल व स्वाभाविक रूप को व्यवहार में लाने से संभव हो सकता है। अतः शासन की सभी जनकल्याण की योजनाओं को जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा के माध्यम से ही करना चाहिए।

सु-शासन में राजभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राष्ट्र में प्रशासन को सक्षम और प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनभाषा में ही शासन का कार्य किया जाए। केन्द्र व राज्य स्तर पर जनभाषा को राजभाषा बनाने से देश में जनतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और राष्ट्र की भावात्मक एकता भी मजबूत होगी। सु-शासन में प्रशासन का जवाबदेह, पारदर्शी और विधि सम्मत होने के लिए सभी कामकाज का जनभाषा में संपादन होना चाहिए। राजभाषा की सु-शासन में अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 343 के अंतर्गत संघ राज्य की राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया है। भारत जैसे एक विशाल और बहुभाषी देश में जिसकी अपनी सामासिक संस्कृति रही है और संविधान में जिसकी संरचना एक संघात्मक राष्ट्र की गई है-संघ राज्य के स्तर पर हिंदी को राजभाषा और राज्यों को अलग-अलग उनकी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा देना सुशासन के अनुकूल है। इसीलिए संविधान की धारा 345 के अंतर्गत राज्यों में अलग राजभाषा की व्यवस्था है। संविधान की इस धारा के अनुसार "किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।"

संविधान की धारा 347 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति जी निदेश दे सकते हैं कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए। संविधान की धारा 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने की व्यवस्था है। संसद के दोनों सदनों में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में करने की व्यवस्था संविधान की धारा 120(1) के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार संविधान की धारा 210(1) में राज्य के विधानमण्डल का कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किए जाने की व्यवस्था है।

राजकीय कार्यों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था रखी गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोग को 1965 के बाद भी जारी रखा जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि अंतराल की अवधि में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी, दोनों

का प्रयोग किया जाए। सन् 1976 में राजभाषा अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रावधान रखा गया है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा(3) के प्रख्यापन के दस वर्ष बाद इस समिति का गठन किया जाना था। समिति का गठन अधिनियम की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस समिति के अध्यक्ष माननीय गृहमंत्री होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का गठन संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने हेतु संसदीय राजभाषा समिति के अलावा कई अन्य समितियों का भी गठन किया गया है। जैसे-केन्द्रीय हिंदी समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

हमारे संविधान में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को रखा गया है, जिससे कि बच्चों की प्रतिभा का स्वाभाविक रूप से विकास हो सके। राष्ट्र की सामासिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले की भी व्यवस्था की गई है, ताकि प्रत्येक राज्य में अपनी राजभाषा के साथ-साथ हिंदी और जिन प्रदेशों में हिंदी राजभाषा है, उनमें किसी हिंदीतर भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था रखी गई है। हिंदी संघ राज्य की राजभाषा के साथ-साथ पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा है और संपर्क भाषा के प्रगामी प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार से ही पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यह भाषा राष्ट्र की सामासिक संस्कृति की प्रतीक है। शासन को प्रभावी और विकासोन्मुख बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में वहाँ की जनभाषा को ही राजभाषा होना चाहिए। एक अच्छे प्रशासन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन की भाषा उस प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा को बनाया जाए, जिससे लोगों में स्वराज्य की अनुभूति हो सके। इसी तरह राष्ट्र स्तर पर संघ की राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रचार व प्रसार होना चाहिए, ताकि देश की सामासिक संस्कृति के साथ-साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता मजबूत हो सके। संघ की राजभाषा हिंदी और प्रदेशों में उनकी अपनी भाषा जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम कर सकती है। शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सकती है। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रकार सु-शासन के लिए शासन की भाषा जनभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः सु-शासन की आधारशिला ही राजभाषा है।

विश्व के विभिन्न देशों में उनकी अपनी राष्ट्रभाषा वहाँ की जनभाषा ही है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के विकसित होने में उनकी राजभाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें भी अपनी राजभाषा को विकसित कर अपना सारा शासकीय कार्य अपनी भाषा में करके गौरव का अनुभव करना चाहिए। संघ सरकार की नीति है कि राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग सद्भाव प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ करना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को जिन्हें राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, विकसित करना चाहिए और सभी राजकीय कार्य इन्हीं भाषाओं में करना चाहिए। देश में सुशासन की परिकल्पना तभी साकार होगी और लोगों को इस बात की अनुभूति होगी कि यह हमारा अपना शासन है।

संविधान के निर्माताओं ने राजभाषा हिंदी के एक ऐसे अखिल भारतीय रूप की कल्पना की है, जो अन्य भारतीय भाषाओं की सहायता लेकर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार हो सके। राजभाषा संकल्प जो वर्ष 1967 में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार एक अधिक व्यापक और गहन कार्यक्रम तैयार करे और उसे कार्यान्वित करें। इस संकल्प के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु किए गए उपायों एवं प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है और सभी राज्य सरकारों को भी इस रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जाती है। इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि हिंदी के साथ-साथ 8वीं सूची में वर्णित(22) भाषाओं के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे, ताकि शीघ्र ही ये सभी भाषाएँ समृद्ध हों और आधुनिक -ान के मार्ग का प्रभावी माध्यम बन सकें।

संघ के राजकीय प्रयोग के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने तथा उन पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने हेतु वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। निरीक्षण कार्य के लिए संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप-समितियाँ हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती हैं। यह संसदीय समिति राजभाषा से अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी किए गए तत्संबंधी परिपत्रों, आदेशों, अनुदेशों को भी राजभाषा संसदीय समिति ध्यान में रखती है।

सुशासन के लिए सदैव ही राजभाषा की अहम भूमिका रही है। भारत एक जनतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ जनता का शासन जनता द्वारा जन-कल्याण के लिए होता है। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है-सार्वभौम होती है। राजभाषा जनभाषा को ही बनाया गया है। भारतीय जनभाषाओं का प्रयोग राजकाज में हो भी रहा है। राजभाषा हिंदी में सभी राजकीय कामकाज करने से हम जनता को एक स्वच्छ-जिम्मेदार एवं पारदर्शी शासन दे सकेंगे। राज्यों में राजभाषाओं की स्थिति बेहतर है। इन सभी राजभाषाओं के विकास और राजकीय कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग से ही सुशासन की संकल्पना सार्थक हो सकती है।

भारत में सुशासन की संकल्पना "रामराज्य" की द्योतक है-ऐसे शासन की जहाँ सभी लोग सुखी हों, निरोग हों और प्रशासनिक तंत्र दिन-रात जन-कल्याण के कार्यों में लगा हो और जिस शासन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः तथा सर्वहित रतः की उक्तियां सार्थक सिद्ध होती हों। वस्तुतः शासन में राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग होने से ही जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित होती है-प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है और इस प्रकार प्रशासन एक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन का रूप लेता है। शासन में इन गुणों के आने पर ही उसे सुशासन कह सकते है और इसकी उपलब्धि राजभाषा में सभी राजकीय कार्यों के करने से ही संभव है। शासन को अधिक प्रभावकारी एवं सक्षम बनाने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम सभी राजकीय कार्य राजभाषा में करें। हम सभी राजकीय कार्य अपनी राजभाषा में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी भाषा में चिन्तन कर मूल रूप से अपनी राजभाषा में कार्य करने में सक्षम हैं। हमारे राजनेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अपार क्षमता है। सभी अपनी राजभाषा से पूर्णतया भिन्न हैं। आवश्यकता है-राजभाषा में कार्य करने के लिए एक सच्चे संकल्प की, "दृढ़निश्चय" की। आज सूचना प्रौद्योगिकी का, विभिन्न भाषायी एप्लीकेशनों के क्षेत्र में अनेक नये आविष्कार हुए हैं। राजभाषा विभाग ने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये साफ्टवेयर टूलों और एप्लीकेशनों की संभावनाओं पर विचार/उपयोग करने में सफलता प्राप्त किया है। नये आविष्कारों का लाभ उठाने की दिशा में अनवरत प्रयास जारी है। अतः आशा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम राजभाषा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं उनके प्रचार व प्रसार के कार्यों में गति ला सकेंगे और राजभाषा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सकेंगे।

*** ***** ***

"लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर उसकी जान लेना ही होता है।"

विदेशियों का हिंदी प्रेम

हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी का महत्व आज और भी बढ़ गया है, क्योंकि भारत आज शिक्षा, उद्योग और तकनीकी के हिसाब से दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। भारत की विशिष्टता अंग्रेजी द्वारा कदापि प्रदर्शित नहीं हो सकती। भारत के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है।

---डॉ.आर.एस.मैकग्रेगर (कैंब्रिज विश्वविद्यालय)

हिंदी भाषा इतनी समृद्ध और सक्षम है कि कामकाज सुचारू रूप से हिंदी में किया जा सकता है। यह खेद की बात है कि हिंदी भाषियों में भाषा के प्रति स्वाभिमान नहीं जगा, अन्यथा बहुत पहले हिंदी देश-व्यापी-स्तर पर प्रचलित हो गई होती। जब मैं बेल्ज़ियम से 1935 में आया तो भारतीय जनता में अपनी ही भाषा के प्रति घोर उपेक्षा पायी। यह देखकर मैंने हिंदी पढ़ने का संकल्प लिया। मैंने निश्चय किया कि हिंदी की सेवा करूँगा।

--- फादर कामिल बुल्के-बेल्ज़ियम

हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें विभिन्न प्रान्तों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यही भारत में सर्वत्र समझी जाती है, क्योंकि इसका व्याकरण भारत की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका शब्दकोश सबकी संपत्ति है। भारत की सच्ची आत्मा का ज्ञान हिंदी द्वारा ही हो सकता है।

---जार्ज ग्रियर्सन-ब्रिटेन

हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसमें कोई दोमत नहीं हो सकते। हिंदी एक सरल भाषा है और देवनागरी जैसी सरल लिपि तो शायद ही कोई हो।

--- डॉ.पं.आ.वारात्रिकोव-रूस

मेरा सर्वस्व हिंदी से जुड़ा है। मैं हिंदी को विश्व-भाषा मानता हूँ। हिंदी सशक्त, सरल और मनोहर भाषा है। विदेशों में हिंदी की पढ़ाई सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी विद्वानों को अपनी पाठ्य-पुस्तकें तैयार करनी चाहिए।

---डॉ.ओदोलन स्मेकल, चैक गणराज्य

इस देश में मैं जो अंग्रेजी द्वारा नहीं कर सका, वह हिंदी द्वारा आसानी से करने में सक्षम हुआ। मैंने हिंदी को यहाँ जन-साधारण की भाषा के रूप में ग्रहण किया है। यह अत्यंत जीवित भाषा है। देवनागरी वर्णमाला ही ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से निर्दोष है।

---डॉ.लोथार जुत्से-जर्मनी

भारत की आम जनता की यह धारणा है कि अंग्रेजी बने रहने का मतलब यह है कि आज का संभ्रांत वर्ग सत्ता में है, वही जीवन के हर क्षेत्र में छाया रहेगा। इस समस्या का विवेकपूर्ण समाधान तो यही है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जाए। यही बात 1950 में लागू भारतीय संविधान में कही गयी है। भारत की जनसंख्या में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं और इससे भी अधिक लोग हिंदी समझते हैं।

---इकॉनामिस्ट (ब्रिटिश पत्र, सितंबर, 1967)

*** ***** ***

मंजिल उनको ही मिलती है

जिनके सपनो में जान होती है

*पंखो से **कुछ** नहीं होता*

होंसलों से उड़ान होती है।

महापुरुष श्री रणछोड़ पगी की जीवन गाथा

---श्री भूपेंद्र परमार,
सर्वेक्षक

गुजरात का इतिहास साढ़े तीन हजार ईसा पूर्व का माना जाता है। इस राज्य को पहले गुजराता (गुर्जर राष्ट्र) कहा जाता था जिसका अर्थ होता है कि गुर्जर लोगों का राष्ट्र । कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गुर्जर लोग मध्य एशिया में रहते थे और पहली शताब्दी के दौरान भारत आये थे। वर्तमान गुजरात राज्य, महाराष्ट्र से अलग होकर 01 मई, 1960 को अस्तित्व में आया।

गुजरात के इतिहास और संस्कृति की समृद्ध परंपरा रही है, जिसके चलते, राज्य में कई सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे वयोवृद्ध पुरुष, दादाभाई नौरोजी और संयुक्त भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई अन्य महापुरुषों की जन्मभूमि रही है गुजरात।

आज इस लेख के माध्यम से ऐसे ही एक महापुरुष के विषय में लिख रहा हूँ, जिनसे शायद इस आधुनिक दौर में बहुत कम लोग परिचित होंगे, और वो थे हमारे **रणछोड़ पगी** ।

हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म "भुज-द प्राइड ऑफ इंडिया" (Bhuj-The Pride of India), असल में "प्राइड ऑफ गुजरात" के नाम से मशहूर रणछोड़ पगी (रणछोड़दास रबारी) की वीर गाथा है। रणछोड़ रबारी उर्फ़ **रणछोड़ पगी** ने रेगिस्तान में पैरों को परखने की हुनर से भारतीय सेना की कई बार मदद की। पगी की निपुणता के कारण बार-बार हार से निराश पाकिस्तान ने भी उसके सिर के लिए 50,000/-रुपये के इनाम की घोषणा कर दी थी।

उनका जन्म सन 1901 में पाकिस्तान के थरपारकर के एक छोटे से गाँव पेथापुर गढडो में हुआ था। उनकी माता का नाम नाथीमा और पिता का नाम सावाभाई था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता की छत्रछाया

खो दी थी। उनका पालन-पोषण उनकी माँ नाथीमा ने किया था। उनका परिवार पाकिस्तान में बहुत समृद्ध था। रणछोड़ पगी के पास पाकिस्तान में उनके गांव में 300 एकड़ जमीन और 200 से ज्यादा पशु (गाय, भेड़, बकरी और ऊंट) थे। उनके घर में 20 से 25 आदमी काम कर रहे थे। उनमें से कई लोगों के वारिस वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा जिले के थराद तहसिल के शिवनगर गाँव में रह रहे हैं । 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रह रहे थे। हालांकि, एक दिन उन्होंने तीन पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों को बांध कर कोठी में डाल दिया और अपने परिवार एवं बच्चों के साथ भारत के लिए रवाना हो गए। वे गुजरात के राघनेसड़ा गाँव में आकर बस गए। इसके बाद वे अपने मोसाल लिंबाला (वाव तहसील-गुजरात) गांव में बस गए।

ऐसा कहा जाता है कि विभाजन के शुरुआती वर्षों में, भारत-पाकिस्तान सीमा पार परिवहन करना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज है। इसीलिए बंटवारे के बाद कई सालों तक पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए लोग सीमा पार करके भारत आते थे। ऐसे कई लोग गुजरात और कच्छ के थरद-वाव पंथक में स्थायी रूप से बस गए हैं। सन् 1965 और सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में, रणछोड़ पगी ने पाकिस्तानी सेना की नींद हराम कर दी थी और लगातार भारतीय सेना की मदद की थी।

रणछोड़ पगी ऐसे हुनर वाले व्यक्ति थे जो व्यक्ति के कदमों को देख कर ही बता सकते थे कि वहां कितने लोग होंगे और उनका वजन कितना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कच्छ-बनासकांठा के भीतरी इलाके में एक गाँव में रहता था जहाँ दूर-दूर से रेत के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। साल 1914 में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह ने 58 वर्ष की आयु में रणछोड़ पगी को सुईगाम थाने में पोलिस पगी के रूप में नियुक्त किया। ये कदमों को समझने की अनूठी कला में इतने माहिर थे कि ऊंट के पैरों के निशान देख कर ही बता सकते थे कि उस पर कितने लोग सवार होंगे और वे कितनी दूर तक पहुँचे होंगे।

रणछोड़ रबारी ने कदमों को समझने की अनूठी कला में महारथ हासिल की थी। वे स्वयं गाय-बकरी आदि के पालन का काम करते थे। रेगिस्तान में खोए हुए पशु (जानवर) को खोजने के लिए पैरों के निशान की पहचान करने की कला ने उन्हें भारतीय सेना के लिए आदर्श बना दिया। 1965 में जब पाकिस्तान ने कच्छ के

कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उनका सामना करने पहुँची भारतीय सेना को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। उस समय रणछोड़ पगी ने भारतीय सेना को रेगिस्तान से होते हुए एक छोटे लेकिन सुरक्षित रास्ते से सीमा तक पहुँचाया। इस दौरान उन्होंने पैरों के निशान ढूँढ़ लिए और दुर्गम स्थानों में छिपे करीब 1200 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़वा दिया था। इस घटना के बाद रणछोड़ पगी भारतीय सेना के आदर्श हो गए।

जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा भारी गोलाबारी के बीच भारतीय सेना को हथियार और राशन पहुँचाने में कठिनाई हो रही थी तब जनरल सैम मानेकशॉ ने रणछोड़ पगी की मदद मांगी । रेगिस्तान के पारखी रणछोड़ पगी ने पालीनगर चेकपोस्ट के पास एक एडिंगो स्थापित करके रेगिस्तानी क्षेत्र के छोटे रास्तों के माध्यम से भारतीय सेना की आपूर्ति लाइन की स्थापना की। भारतीय सेना के 50 किमी दूर एक अन्य छावणी से, रणछोड़ पगी ने ऊंट पर गोला-बारूद लाकर सेना को सौंप दिया। रणछोड़ भाई के समय पर गोला-बारूद पहुँचाने से भारतीय वायु सेना के लड़ाकु विमानों ने धोरा और भालवा स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। हालांकि, रणछोड़भाई रबारी खुद ऊंट पर गोला-बारूद पहुँचाते समय घायल हो गए थे। मानेकशॉ को रणछोड़ पगी पर इतना विश्वास था कि वे उन्हे "वन मैन आर्मी एट डेजर्ट फ्रंट" कहा करते थे।

1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद, जनरल सैम मानेकशॉ ने दिल्ली में एक भव्य जीत पार्टी का आयोजन किया जिसमें रणछोड़ पगी को भी आमंत्रित किया। रणछोड़ पगी को बुलाने के लिए एक हेलिकॉप्टर भेजा। लेकिन जब हेलिकाप्टर ने उड़ान भरी, उन्हें पता चलाकि उनके खाने के सामान की थैली (लंच बैग) नीचे ही रह गयी है। उनके अनुरोध पर थैली लेने हेतु हेलीकॉप्टर को फिर से नीचे उतारा गया। उस थैली में रणछोड़ पगी लाल मिर्च, दो प्याज और बाजरे की सूखी रोटी रखे हुए थे। सभी की हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर पगी घर से लाई गई पोटली को खोलकर रोटी, मिर्च-प्याज खाने बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि उस पार्टी में जनरल सैम मानेकशॉ ने भी रणछोड़ पगी के साथ प्याज और बाजरे की सूखी रोटी खाई थी।

रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले पशुचारक अपने खोए हुए पशु को खोजने के लिए कदमों के आधार पर दिशा निर्धारित करते हैं। रणछोड़ पगी कम उम्र से ही कदमों को पहचानने में सक्षम थे। वे रेगिस्तान की धूल में पड़ी कदमों की गहराई के आधार पर कदम का समय भी बता सकते थे।

एक बार भारतीय सेना के अधिकारियों को यह कला समझाते हुए उन्होंने कुछ कदमों को समझाया और बताया कि यहां तीन तरह के पैरों के निशान हैं। सबसे बड़े कदम पुरुष के हैं। यह थोड़ा गहरा है और दाईं ओर

झुका हुआ है। मतलब उसने अपने सिर पर कुछ वजन उठा लिया है। एक बच्चा और एक महिला भी है। महिला के कदम दाएं-बाएं से थोड़े तिरछे हैं इसलिए वो गर्भवती होनी चाहिए। अधिकारियों ने पास के एक गाँव में जाँच की तो पाया कि वास्तव में एक देहाती परिवार एक गर्भवती महिला के साथ वहाँ से गुजरा था।

उनके सम्मान में भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अपनी एक चौकी का नाम "रणछोड़दास" रखा है। वहीं उनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है। उन्हें पुलिस और सीमा सुरक्षा बल दोनों ने सम्मानित किया। उन्हें संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में पालनपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में गुजरात के मुख्यमुत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था।

1901 में जन्मे रणछोड़ पगी का 112 साल के लंबे जीवन काल के बाद 17 जनवरी 2013 में निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार के समय उनके सिर पर पगड़ी बांधी जाए और उन्हें उनके खेत में दफना दिया जाए। इसलिए उनकी मर्जी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया।

उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में भारतीय सेना द्वारा दिए गए कोट और पदक को सम्मानपूर्वक संरक्षित किया। अपने द्वारा किए गए महान कार्य पर उन्हें बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उनके बेटे और पोते भी पुलिस बल के अलावा भारतीय सेना में सेवारत हैं।

ऐसे थे हमारे रणछोड़ पगी - मुझे उम्मीद है कि आपको रणछोड़ पगी की जीवनी पर लेख पसंद आया होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व का जीवन हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे,
सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे ।

-- मनोज मुंतशिर

दुआ
(प्रार्थना, आशीर्वाद)

--- श्री एम.शंकर
अधिकारी सर्वेक्षक

आज इन्सान खुदा खुद को समझ बैठा है
उस को इन्सान बनाओ तो कोई बात बने ।

धर्म के नाम पे ख़ून कितना बहाओगे मियां
प्यार के जाम लुटाओ तो कोई बात बने।

जिनके होंठों से हँसी छीन ली दुनिया ने अशोक
उनको सीने से लगाओ तो कोई बात बने।

मसले खून-खराबे से निपटते कब हैं
प्यार से उनको मनाओ तो कोई बात बने।

तीरगी बढ़ने लगी अपनी हदों से आगे,
मशालें दिन में जलाओं तो कोई बात बने।

*** ***** ***

हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने जो ज़रूरी काम हैं उनमे लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़ कर कोई काम नहीं है।

-- लाल बहादुर शास्त्री

राजभाषा अनुपालन-कुछ आवश्यक बातें

-श्रीमती के. प्रसन्नालक्ष्मी
जे.टी.ओ.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय "उपक्रम" होने के नाते हम पर राजभाषा अधिनियम व नियम पूर्णतया प्रभावी हैं। राजभाषा के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं आइये कुछ प्रमुख बातों पर एक नज़र डालें। आशा है कि बेहतर राजभाषा अनुपालन में यह जानकारी आज के लिए सहायक सिद्ध होंगी।

संवैधानिक प्रावधानः- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार

(क) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।

(ख) संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप (उदाहरणार्थ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...9) का प्रयोग होगा ।

(ग) संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी कार्यों के लिए होता रहेगा, जिनके लिए संविधान के लागू होने से पहले होता था। इसके बावजूद संसद किसी बात के होते हुए विधि द्वारा 15 वर्ष की समय अवधि के बाद भी ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपलब्ध कर सकेगी ।

तदनुसार 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 बना और 1967 में इन नियमों को संशोधित किया गया।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)ः- इसके अनुसार, निम्न दस्तावेज अनिवार्यतः हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साथ-साथ जारी किये जाएँगे : इनमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन हेतु हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होगा। यह 14 दस्तावेज निम्नवत हैंः-

1. सामान्य आदेश, 2. नियम, 3. संकल्प, 4. अधिसूचनाएँ, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें , 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ, 7. संसद के किसी सदन में या सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, 8. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र (रिपोर्टों को छोड़कर), 9. संविदाएँ, 10. करार , 11. अनुज्ञप्तियाँ (लाइसेंस), 12. परमिट(अनुज्ञा पत्र), 13. सूचनाएँ 14. निविदा प्रारूप ।

राजभाषा संसदीय समिति :- इस अधिनियम की धारा 04 के तहत संसद के 30 सदस्यों (20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा) से युक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति की तीन उप-समितियाँ हैं। इस समिति की तीसरी उप-समिति हमारे कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग का निरीक्षण करती है।

राजभाषा अधिनियम 1976 :- हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से संभव बनाने हेतु यह अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा देश को तीन भाषिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया।

"**क**" **क्षेत्र :-** हिन्दी को राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकारने वाले राज्य - बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।

"**ख**" **क्षेत्र :-** राज्य की अपनी भाषा के साथ ही हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकारने वाले राज्य-गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

"**ग**" **क्षेत्र :-**"क" और "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ।

इस अधिनियम के कुछ प्रमुख नियम :

(क) **हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर** अनिवर्य रूप से हिन्दी में ही दें । नियम 8(5)

कार्यालय- कोड, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य, रजिस्टरों के शीर्ष, पत्र शीर्ष, विजिटिंग कार्ड द्विभाषिक रूप में ही बनवायें। रबड़ की मोहरें हिन्दी व अंग्रेजी में तैयार की जायें। साथ ही साइन बोर्ड, नामपट्ट द्विभाषिक रूप में बनवायें।

(ख) **प्रवीणता प्राप्त कर्मियों को पत्र**- सभी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मियों (परिभाषा आगे दी गयी है) को संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने हेतु व्यक्तिशः पत्र जारी किया जाना चाहिए। {(नियम 8(4)}

(ग) **कार्यालयों की अधिसूचना**-यदि किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत या अधिक कर्मियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो ऐसे कार्यालयों के नाम भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किये जायें। {नियम 10(4)}

(घ)**मैनुअल संहिताएँ व प्रक्रिया साहित्य**-यह सभी चीजें हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक मुद्रित/साइक्लोस्टाइल कर मुद्रित की जायें।नियम (11)

कार्यालय प्रभारी का दायित्व : किसी भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में राजभाषा अधिनियमों, नियमों व

उपबन्धों के समुचित अनुपालन का दायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होगा।

1. **हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान :-**

(क) यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है,

अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा या उस सरकार द्वारा ऐसी ही किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है

अथवा

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, अथवा

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. हिन्दी में प्रवीणता:-

यदि किसी कर्मचारी ने

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, **या**

यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में ये घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

प्रशिक्षण व प्रोत्साहन, पुरस्कार, हिन्दी प्रशिक्षण

प्रबोध : कर्मचारी ने प्राइमरी स्तर की कोई परीक्षा हिन्दी विषय को लेकर पास न की हो तथा उसकी मातृभाषा हिन्दी न हो।

प्रवीण : कर्मचारी ने मध्यम (मिडिल) स्तर की कोई परीक्षा हिन्दी विषय को लेकर पास न की हो तथा उसकी मातृभाषा हिन्दी न हो।

प्राज्ञ : कर्मचारी ने मैट्रिक स्तर की कोई परीक्षा हिन्दी विषय को लेकर पास न की हो तथा उसकी मातृभाषा

हिन्दी न हो।

हिन्दी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण : सभी अंग्रेजी के टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग व अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा परीक्षा से संबंधित नकद पुरस्कार :-

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर 12 महीनों के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके साथ-साथ निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित परीक्षाओं (प्रबोध/प्रवीण/प्रा-ा) में निर्धारित अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षार्थी नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। पुरस्कार राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(क) प्रबोध

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 1600/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 800/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 400/-

(ख) प्रवीण

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 1800/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 1200/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 600/-

(ग) प्राज्ञ

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 2400/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 1600/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 800/-

हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि परीक्षाओं से संबंधित नकद पुरस्कार :-

(क) हिंदी टंकण/टाइपिंग

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 800/-

(ख) हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु 2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु 800/-

कुछ अन्य व्यावहारिक बातें :-

1 हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले अपने मन की झिझक दूर करें। प्रारंभ में होने वाली व्याकरणीय त्रुटियों से रुकें नहीं।

2 हिंदी में काम करना सरल है। प्रारंभ हस्ताक्षर से करें। फिर टिप्पणी लेखन से। कुछ समय के अभ्यास से यह अत्यंन्त सरल हो जायेगा और पत्राचार सहित हर कार्य हिंदी में करने की स्वतः दक्षता आ जायेगी।

3 हर संस्थान की कार्य प्रकृति के हिसाब से कुछ विशेष शब्दावली होती है। अतः यदि किसी शब्द का हिंदी पर्याय नहीं मिल रहा है तो बेहिचक उस अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करें। बस, उसका देवनागरी में लिप्यन्तरण कर लें।

4 दृढ़ संकल्प से ही कोई भी कार्य में सफलता मिलती है। निश्चय कर लें कि हम कम से कम एक पत्र प्रतिदिन हिंदी में अवश्य लिखेंगे।

5 उच्चाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत होता है। अतः अधिकारियों व वरिष्ठ कर्मियों को राजभाषा अनुपालन में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

*** ***** ***

कर्त्तव्य

कुमारी जी.प्रणीति
पुत्री
श्री जी.प्रेम कुमार, सहायक

गुरुजन को प्रणाम करोगे
नमस्कार वह कहलाएगा।

राष्ट्र के लिए कार्य करोगे
राष्ट्र-प्रेम वह कहलाएगा।

लोगों की तुम सहायता करोगे
परोपकार वह कहलाएगा।

मन में अच्छा विचार करोगे।
सुविचार वह कहलाएगा ।

दुष्टों का यदि नाश करोगे
संहार वह कहलाएगा।

अच्छा तुम व्यवहार करोगे
शिष्टाचार वह कहलाएगा।

राष्ट्र के लिए बलि बनोगे
बलिदान वह कहलाएगा।

***

जहाँ जाइये प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आये वह और खुश होकर लौटे।
-- मदर टेरेसा

अपनी विदाई पर खुद भाषण देना

--- श्री एम.शंकर, अधिकारी सर्वेक्षक

मेरे विदाई समारोह पर उपस्थित सभी लोगों को शुभ प्रभात। सम्मानित निदेशक और कार्यालय के सभी आदरणीय साथियों और अधिकारियों द्वारा इतने अच्छे बिदाई समारोह का आयोजन करने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे इस कार्यालय में बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज मैं इस कार्यालय को छोड़ रहा हूँ , क्योंकि आज मेरे रिटायरमेंट का दिन है।

आप सभी के साथ काम करते हुए कब पाँच वर्ष बीत गये, पता ही नहीं चला। आप के अपनेपन, प्यार और स्नेह की वजह से मुझे यह कभी नहीं लगा कि मैं एक नौकरी करने वाला कर्मचारी हूँ । बल्कि आप सभी के साथ काम करते हुए जो अनुभव मुझे मिला है, वह आगे के जीवन में बहुत काम आने वाला है। इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस कार्यालय के लिए कोई योगदान दिया या नहीं, बल्कि इस कार्यालय ने मुझे एक काबिल व्यक्ति बनाकर मेरे जीवन में अधिक योगदान दिया है।

सहकर्मियों के साथ ऑफिस और घर जाने वाले रास्ते में किए गए मजाक, एक-दूसरे के जन्मदिन और त्योहारों में हमने जो मस्ती की उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। हर राज आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना, साथ में काम करना और हर समस्या को साथ में हल करना यह सभी यादें मुझे हमेशा सताया करेंगी। इस वजह से इस कार्यालय को और मेरे सहयोगियों को छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।

यहाँ रहते हुए मैंने योजना निर्माण, कार्यकुशलता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता जैसे कई गुणों को सीखा है। इसके साथ-साथ समय का सही सदुपयोग करना भी मैंने यहाँ से सीखा है। यहाँ पर मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखकर खुद में एक आत्मविश्वास विकसित किया है। मुझे उम्मीद है कि, आप सभी लोग इसी तरह कार्यालय में कड़ी मेहनत करेंगे और अपने कार्यालय को एक नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को जीवन में अपार खुशियाँ मिलें और आपका भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहे। आप सभी सहकर्मियों के साथ बिताए गए हर पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। कभी जाने-अनजाने में मुझ से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।

इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूँगा । मुझे यहाँ भाषण देने के लिए और इतनी शांति से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद ।

*** ***** ***

अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिभा संपन्न बच्चों की उपलब्धियां

कुमारी भावना, पुत्री श्री नरबहादुर, प्रवर श्रेणी लिपिक

मेरे पिता केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं। वे फुटबाल खेलते रहते है। मेरे पिताजी की प्रेरणा से ही मेरी खेलखूद में दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने पांचवी कक्षा से ही हॉकी खेलना शुरु किया । अब तक राज्य स्तर पर 10 टूर्नमेन्ट्स में भाग ले चुकी हूँ। चार टूर्नमेन्ट्स में चयनित होकर उत्तम क्रीड़ाकारिणी की उपाधी जीत चुकी हूँ। इन्वेस्टमेन्ट बैंकर की नौकरी पाना ही मेरा लक्ष्य है। प्रोत्साहन मिलने पर देश की तरफ से खेलने के लिए तैयार हूँ।

अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा ।

-- डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

संख्यावाचक शब्द

संविधान के **अनुच्छेद 343(2)** में यह व्यवस्था है कि संघ के शासकीय कार्यों हेतु शासकीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,... ..9)का प्रयोग किया जाए। संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में एकरूपता लाने के लिए इस विषय पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय में 5/6 फरवरी, 1980 को हुई भाषा वैज्ञानिकों की बैठक में की गई चर्चा के अनुसार एक से सौ तक के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप इस प्रकार निर्धारित किया गया :--

1-एक	21-इक्कीस	41-इकतालीस	61-इकसठ	81-इक्यासी
2-दो	22-बाईस	42-बयालीस	62-बासठ	82-बयासी
3-तीन	23-तेईस	43-तैतालीस	63-तिरेसठ	83-तिरासी
4-चार	24-चौबीस	44-चवालीस	64-चौसठ	84-चौरासी
5-पांच	25-पच्चीस	45-पैंतालीस	65-पैंसठ	85-पचासी
6-छह	26-छब्बीस	46-छियालीस	66-छियासठ	86-छियासी
7-सात	27-सत्ताईस	47-सैंतालीस	67-सड़सठ	87-सतासी
8-आठ	28-अट्ठाईस	48-अड़तालीस	68--अड़सठ	88-अठासी
9-नौ	29-उनतीस	49-उनचास	69-उनहत्तर	89-नवासी
10-दस	30-तीस	50-पचास	70-सत्तर	90-नब्बे
11-ग्यारह	31-इकतीस	51-इक्यावन	71-इकहत्तर	91-इक्यानवे
12-बारह	32-बत्तीस	52-बावन	72-बहत्तर	92-बानवे
13-तेरह	33-तैंतीस	53-तिरेपन	73-तिहत्तर	93-तिरानवे
14-चौदह	34-चौंतीस	54-चौवन	74-चौहत्तर	94-चौरानवे
15-पन्द्रह	35-पैंतीस	55-पचपन	75-पचहत्तर	95-पचानवे
16-सोलह	36-छत्तीस	56-छप्पन	76-छिहत्तर	96-छियानवे
17-सत्रह	37-सैंतीस	57-सतावन	77-सतहत्तर	97-सतानवे
18--अठारह	38--अड़तीस	58-अठावन	78--अठहत्तर	98-अठानवे
19-उन्नीस	39-उनतालीस	59-उनसठ	79-उन्यासी	99-निन्यानवे
20-बीस	40-चालीस	60-साठ	80-अस्सी	100-सौ

*** ***** ***

उन्यासी, नवासी, उनहत्तर, उनसठ, उनचास में कंफ्यूज होने वाले लोगो को भी हिंदी दिवस की तड़तड़ाती शुभकामनाएं!

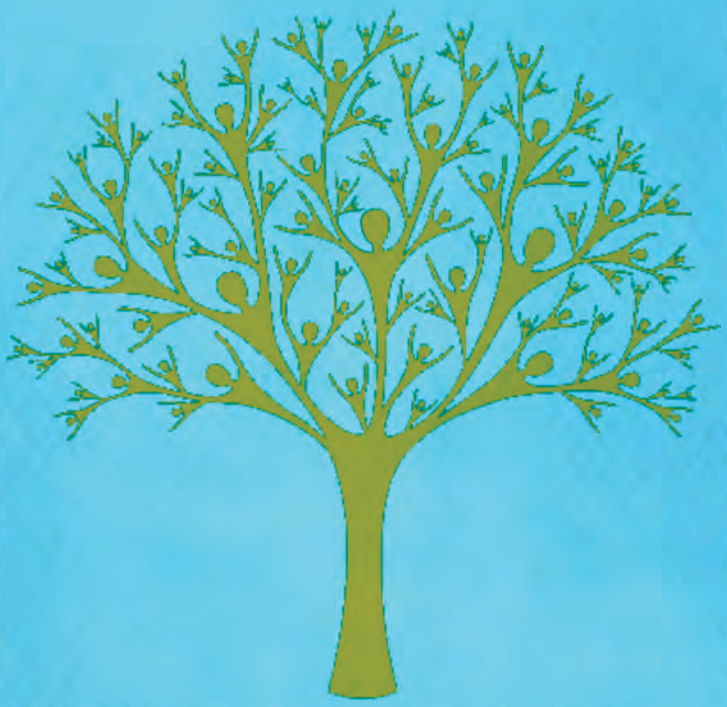

शारीरिक ऊर्जा में जो लाये निखार,
स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार

उतना ही सुन्दर कल होगा,
जितना स्वच्छ जल होगा